तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरवर खान बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 71/2022	
18-04-2022	अपीलार्थी सरवर खान, पता 40 आशापूर्णा नैनो ग्रांड, शिकारगढ जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.02.22 में (1) नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण) और विनियमन अधिनियम, 2010 के अनुसार जोधपुर जिला में कितने अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला का पंजीकरण हो रखा है प्रमाणित सूची व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 457 दिनांक 06.04.22 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही गई वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर चिकित्सा विभाग जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर) को कार्यालय के पत्र संख्या 188 दिनांक 02.03.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था तथा प्रार्थी को भी पत्र पृष्ठांकित किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा [illegible] सूचना अधिकारी का प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर [illegible] से अपीलार्थी की अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:25 IST
Reason: SelfAttested